



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1695 वर्ष 2026

डब्ला उर्फ डब्लू मौर्य उर्फ डब्ला विश्वकर्मा

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : आकाश तिवारी, चंद्र भानु दुबे, हरेंद्र यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

(1) पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और पूरे रिकॉर्ड को देखा।

(2) यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसका मकसद जौनपुर के स्पेशल जज एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट द्वारा जमानत अर्जी संख्या 521/2024 (डबलू उर्फ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



डब्बा मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में 27-10-2025 को पारित ज़मानत नामंजूरी के आदेश को रद्द करवाना है। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 99/2024 से जुड़ा है, जो ज़फ़राबाद पुलिस स्टेशन, ज़िला जौनपुर में आईपीसी की धाराओं 147, 149, 120-बी, 307, 308, 323, 452, 504, 506 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत दर्ज किया गया था।

(3) अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। अपीलकर्ता ने एफआईआर में बताए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अपीलकर्ता समेत कुल चार आरोपी हैं और सभी आरोपियों पर केवल सामान्य भूमिका का आरोप लगाया गया है। अपीलकर्ता की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। यह भी कहा गया है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी थेलु सोनकर, जिसका नाम भी आरोपियों में शामिल था, को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 17899/2025 में 11.08.2025 को दिए गए आदेश के तहत पहले ही ज़मानत दे दी है और उस ज़मानत आदेश की कॉपी रिकॉर्ड पर रखी गई है। यह कहा जा रहा है कि चूंकि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए अपीलकर्ता भी समानता के आधार पर ज़मानत पाने का हकदार है। अपीलकर्ता 24.06.2024 से जेल में बंद है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आखिर में यह कहा जा रहा है कि अपीलकर्ता की ज़मानत अर्जी को खारिज करने वाला आदेश दोषपूर्ण और गैर-कानूनी है, जिस पर इस न्यायालय को दखल देने की ज़रूरत है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

(5) मैंने सह-अभियुक्त के ज़मानत आदेश को देखा है और पाया है कि मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका लगभग वैसी ही है जैसी सह-अभियुक्त थेलू सोनकर की थी, जिसे इस न्यायालय ने पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया है।

(6) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, अभियुक्त की संलिप्तता, मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मानती है कि अपीलकर्ता ने समानता के आधार पर ज़मानत पाने का मामला बनाया है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी को खारिज करने में गलती की। विवादित आदेश में खामी और गैर-कानूनीपन है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और अपील को मंज़ूर किया जाना चाहिए।

(7) इसलिए, अपील मंज़ूर की जाती है और अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी को खारिज करने वाला विवादित आदेश रद्द किया जाता है।

(8) ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े अपीलकर्ता - **राम डब्लू उर्फ डब्बा** - को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे और नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई हो।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया हो या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह हो।

(v) अपील करने वाला व्यक्ति मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(9) ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के सामने जमानत रद्द करने की अर्जी देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(10) इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंजूर किया जाता है।

(11) जौनपुर के एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट के विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा 27-10-2025 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

4 जून, 2026

अकबर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।